तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दें कि विशेष रूप से 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इसे मानिटर करने हेतु जिला स्तरीय समितियां गठित करके अपने स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

निर्माण के लिए लंबित दूरदर्शन धारावाहिक

651. **डा. अ रार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे धारावाहिकों की वर्तमान संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, परन्तु उन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं किया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) दूरदर्शन द्वारा किसी धारावाहिक को स्वीकृति दिये जाने के वर्तमान मानदण्ड और प्रक्रिया क्या है और दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माण के लिए लंबित आवेदनों की वर्तमान संख्या कितनी है और उन पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) सरकार में परिवर्तन के बाद से भविष्य में कितने धारावाहिकों के निर्माण के लिये अनुमति दी गयी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) इस समय, प्रायोजित कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत 13 धारावाहिकों का प्रसारण किया जाना है, क्योंकि संबंधित निर्माताओं द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई है। कमीशण्ड-स्कीम के अन्तर्गत 10 धारावाहिक अनुमोदित हैं जिनका निर्माण विभिन्न चरणों में है।

(ख) दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन के लिये वर्तमान मानदण्ड एवं प्रक्रिया विवरण में दिये गये हैं। (**नीचे देखिए**)

दूरदर्शन ने अक्तूबर, 1990 में प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय नेटवर्क हेतु टी. वी. धारावाहिकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। विज्ञापनों के उत्तर में 3516 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

कमीशण्ड स्कीम के अन्तर्गत दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माण हेतु प्रस्ताव दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों को बराबर मिलते रहते हैं।

(ग) नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दूरदर्शन द्वारा कोई नया धारावाहिक अनुमोदित नहीं किया गया है। धारावाहिक दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं न कि सरकार द्वारा।

विवरण

दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ मानदण्ड एवं प्रक्रिया

प्रायोजित धारावाहिक : प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए बाहरी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों को जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, विषयवार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और इन प्रस्तावों को चयन प्रत्येक विशिष्ट विषय पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए काफी समय से दूरदर्शन की अपेक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए चयन समिति के सम्मुख रखा जायेगा ताकि प्रत्येक श्रेणी के बारे में स्पष्ट रूप से प्रस्तावों का चयन किया जा सके। चयन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) अपर/उप महानिदेशक, दूरदर्शन जो आमंत्रित प्रस्तावों के संबंध में कार्यक्रम की विशिष्ट शैली की जानकारी रखते हों और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पैनल में से कम से कम 3 गैर सरकारी विशेषज्ञ (जिनमें से एक महिला सदस्य होंगी) होंगे।

चयन समिति ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदन करने का प्रयास करेगी जिनमें सामाजिक मूल्य और स्वास्थ्य मनोरंजन हो विशेषरूप से उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी जो :

(i) अच्छे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दें ।

(ii) दर्शकों में विभिन्न धर्मों, विचारों, सांस्कृतियों इत्यादि के प्रति समान आदर की भावना उत्पन्न करें, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें और भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बढ़ावा दें ;

(iii) देश की समृद्धि सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट प्रतिबिम्बित करें।

(iv) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा दें और भारत के जनजीवन को प्रतिबिम्बित करें ।

(v) हमारे समाज में नारी के स्थान के प्रति स्वस्थ सम्मान को बढ़ावा दें और युवाओं की आकांक्षाओं और समस्याओं को उजागर करें; और

(vi) दर्शकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें ।

चयन समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों की उपयुक्तता की जांच करने के मामले में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए ।

निर्माता जिनके प्रस्ताव अस्थायी रूप से अनुमोदित किये गये हैं को अंतिम अनुमोदनार्थ-चयन समिति के सम्मुख रखने के लिये निश्चित समय के भीतर एक "पायलट" कार्यक्रम अपनी लागत और दायित्व पर निर्मित और प्रस्तुत करना होगा ।

कमीशण्ड धारावाहिक :

कमीशन्ड स्कीम के अधीन दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों पर केन्द्रों में उपयुक्त समिति द्वारा अनेक विषयगत मूल्य, स्क्रिप्ट का प्रतिपादन, शैक्षणिक, सूचनात्मक और निहित मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है । प्रस्तावों पर विचार करते समय रचनात्मक एवं तकनीकी दलों को उचित महत्व दिया जाता है । केन्द्र द्वारा उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों की लागत समिति के अंतिम अनुमोदन के लिए महानिदेशालय में भेजा जाता है ।

किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किये जाने के मानदण्ड

652. **डा. अरार अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए वर्तमान मानदण्ड कब बनाये गये थे और क्या बाद में समय-समय पर उन मानदण्डों में संशोधन या परिवर्तन किये गये थे, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन मानदण्डों को अभी भी उपयुक्त होना मानती है ; यदि नहीं, तो उन्हें कब तक बदल किये जाने की संभावना है ।

(ग) देश में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें एक भी बड़ा अथवा मध्यम दर्जे का उद्योग नहीं है और फिर भी वे औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं ; और

(घ) राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले की अभी तक उक्त श्रेणी में सम्मिलित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अपनाये जाने वाले दिशानिर्देशों के मानदंड राज्य सरकारों और संघ शासित